न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 520/20 दायरा दिनांक :–28.10.2020 निर्णय दिनांक :– 05.03.2021

1. जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम जाति जाट निवासी नांगलसिंया तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–:निर्णयः–

दिनांक :– 05.03.2021

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुयी। वकील पक्षकारान उपस्थित आये। वादी का वाद का सारतः रहा कि हाल आ0ख0न0 13/0.14, 65/0.10, 466/0.25, 250/0.55, 255/1.05, 31/0.18, 33/0.15, 41/0.25, 38/0.06, 464/0.17 है0 वाके ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज़0 मे स्थित होकर विवादित आराजीयात में मिनवादी का मुताबिक जमाबंदीयात वादी की पैतृक कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवम पिता चुन्नाराम की फौतगी पर जरिये विरासत प्राप्त हुई है लेकिन विरासत दर्ज करते समय खिलाफ मौका व खिलाफ कानून मिनवादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये ही मिनवादी का नाम नफेसिंह पुत्र चुन्नाराम दर्ज कर दिया जो गलत है एवम समस्त अन्य कागजात में जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम है जो सही है। आदि–आदि का निवेदन करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम नफेसिंह पुत्र चुन्नाराम को हजफ कर उसके स्थान पर जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम दर्ज किये जाने का निवेदन रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:16:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तामील प्रतिवादी/पक्षकार सरकार को जवाब का बार–बार अवसर दिये जाने के उपरांत प्रतिवादी सरकार के जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादी ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप विरासत इन्तकाल प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–2 और स्वयं का शपथ पत्र प्रदर्श–3 एवम सरपंच ग्राम पंचायत अजरका द्वारा जारी दो नाम बाबत प्रमाण पत्र जो नफेसिंह व जयप्रकाश

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

नाम से है एवम स्वयं का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड एवम परिवार राशन कार्ड की छाया प्रतियां पेश की है एवम मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र जयप्रकाश पी डब्ल्यू–1, थावरसिंह पी डब्ल्यू–2, तेजवीर सिंह पी डब्ल्यू–3 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वादपत्र के जिमनों को दोहराते हुये विरासत दर्ज करते समय खिलाफ मौका खिलाफ कानून एवम वादी को बिना सुनवाई का अवसर दिये वादी का गलत नाम नफेसिंह पुत्र चुन्नाराम दर्ज कर दिया जाना एवम सही नाम जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम होना तथा ग्राम पंचायत द्वारा जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम जाट निवासी नांगलसिया का मूल निवासी होना एवम जयप्रकाश व नफेसिंह दोनों नामों से जाना जाना एवम जयप्रकाश व नफेसिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम के होने के बाबत का पेश किया होना एवम मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड में भी सही नाम जयप्रकाश का अंकन होना तथा गवाहान थावरसिंह पी डब्ल्यू–2 एवम तेजवीर सिंह पी डब्ल्यू–3 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रानुसार वादी का नाम दुरूस्त किये जाने की इश्तदुआ किया जाना आदि–आदि का अभिकथन करते हुये वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात के बाबत रिकॉर्ड में दर्ज नफेसिंह पुत्र चुन्नाराम को हजफ कर उसके स्थान पर जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम दर्ज कराये जाने का अभिकथन किया।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गयी एवम पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन उपरांत उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हाल आ0ख0न0 13/0.14, 65/0.10, 466/0.25, 250/0.55, 255/1.05, 31/0.18, 33/0.15, 41/0.25, 38/0.06, 464/0.17 है0 वाके ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है एवम उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम नफेसिंह पुत्र चुन्नाराम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम उसके स्थान पर जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:16:36 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाकर, बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर मुण्डावर
जिला अलवर, राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारीः– रामसिंह राजावत, आर.ए.एस.

दावा सं.– 520/20 दायरा दिनांक :–28.10.2020 निर्णय दिनांक :– 05.03.2021

1. जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम जाति जाट निवासी नांगलसिंया तहसील मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय, मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।

..........प्रतिवादी

दावा ईश्तकराहक मय दुरूस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 88
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से श्री अरूण पण्डित एडवोकट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 05.03.2021 को श्री रामसिंह राजावत, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती हैः–

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हाल आ0ख0न0 13/0.14, 65/0.10, 466/0.25, 250/0.55, 255/1.05, 31/0.18, 33/0.15, 41/0.25, 38/0.06, 464/0.17 है0 वाके ग्राम नांगलसिया तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान के बाबत के वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में डिक्री किया जाता है एवम उपरोक्त विवादित आराजीयात के बाबत के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादी के नाम नफेसिंह पुत्र चुन्नाराम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवम उसके स्थान पर जयप्रकाश पुत्र चुन्नाराम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान् अपना अपना खर्चा वहन करेगे।

Signature Not Verified

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.03.2021 को ... द्वारा ... खुली जाकर बांद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.31 10:16:36 IST
Reason: SelfAttested

(रामसिंह राजावत)
सहायक कलक्टर
मुण्डावर, अलवर राज0

सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज0